

9

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमति सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 64/16

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
अधिकारी, जोधपुर

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री चुन्नीलाल चौधरी पुत्र श्री हरकाराम चौधरी, उम्र 36 वर्ष (एफबीओ) फर्म मैसर्स बालाजी किराणा एण्ड जनरल स्टोर दुकान संख्या 3-4, धन्ना भगत मंदिर, बोरानाड़ा, जोधपुर। निवासी सी-175, रिको आवासीय कॉलोनी, बोरानाड़ा, जोधपुर।
2. श्री अशोक पारख पुत्र श्री रामलाल पारख (निर्माता/मालिक) फर्म मैसर्स- एम.एम. फूड्स, के/4-13, कृषि उपज. मण्डी, मण्डोर रोड़, जोधपुर नि. 53 अरिहन्त नगर, गुरो का तालाब रोड़, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 28.12.2015 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मैसर्स बालाजी किराणा एण्ड जनरल स्टोर, दुकान संख्या 3-4, धन्ना भगत मंदिर, बोरानाड़ा, जोधपुर पहुंच कर निरीक्षण करने दौरान मिर्च पाउडर (मनुहार) 500 ग्राम के 30 पॉली पैकेट्स आम जनता को विक्रय हेतु रखी थी। उक्त मिर्च पाउडर (मनुहार) 500 ग्राम की चार पॉली पैकेट्स वास्ते नमूना संख्या एडी-277 वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के रूपये 320/- नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है। खरीदसुदा मिर्च पाउडर (मनुहार) 500 ग्राम की चार पॉली पैकेट्स के चारों पैकेट्स हेतु अलग-अलग चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एडी-277 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एडी-277 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदे तक गोंद से चिपकाई चारों नमूनों को अलग-अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार-चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर कोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एडी-277 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
2. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की। जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया। उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदे प्राप्त की गई। प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि मिर्च पाउडर (मनुहार) 500 ग्राम के चार पैकेट्स के चारों नमूनों को अलग-अलग 2-2 भागों में एडी-277 की जांच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जांच रिपोर्ट एल.एस. 1074/एक्ट/2016/26 दिनांक 11.01.2016 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जांच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ अमानक स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (11) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एडी-277 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना



जांच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी।

3. अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने अपना जवाब लिखित में पेश किया। जवाब में अप्रार्थी संख्या 1 ने पद 1, 2, 14 व 15 को अस्वीकार किया तथा शेष पदों को स्वीकार किया तथा यह निवेदन किया की मिथ्याछाप की रिपोर्ट में फर्म का पूर्ण पता अंकित नहीं होना बताया है जबकी जांच रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि एम.एम. फूड मण्डोर मण्डी जोधपुर तथा मिर्ची पाउडर में खाद्य तैल कौनसा उपयोग किया गया है। कौनसा तैल था अंकित नहीं होने के आधार पर नमूना मिथ्याछाप होना नहीं कहा जा सकता है।
4. पत्रावली का अवलोकन किया गया। विवेचन के पश्चात पाया की प्रार्थी को बहस हेतु गहरा मौका देने के बावजूद भी उपस्थित नहीं हुए अतः एक पक्षीय आदेश पारित करना उचित समझती हूँ। पब्लिक हेल्थ लेबोर्टरी जोधपुर की फूड ऐनेलिसिस रिपोर्ट दिनांक 1101.2016 के विरुद्ध अप्रार्थी संख्या 1 व 2 अपील कर सकते थे। परन्तु बावजूद सूचनार्थ अप्रार्थीगण ने निर्धारित तीस दिवस की अवधि में धारा 46 की उपराधा 4 के अधीन फार्म संख्या 8 में नहीं की। अतः मैं फूड ऐनालिसिस की रिपोर्ट से सहमत हूँ तथा अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(2) एवं धारा 52 के तहत दोषी पाये जाने से अप्रार्थी संख्या 1(विक्रेता) व 2(निर्माता) पर शास्ती कमशः (1) रुपये 8000/- अक्षरे रुपये 316 ६-५११५६ (2) रुपये 15000/- अक्षरे रुपये 4-3६ ६५११ आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थी उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 30/6/17 के एक माह के अंदर-अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें। निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 30/6/17 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर
मजिस्ट्रेट (शहर) जोधपुर

दिनांक :- 30-6-2017

क्रमांक:-जांच/2017/1470-1473

प्रतिलिपी:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
02. श्री रेवत सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी जोधपुर।
03. श्री चुन्नीलाल चौधरी पुत्र श्री हरकाराम चौधरी, उम्र 36 वर्ष (एफबीओ) फर्म मैसर्स बालाजी किराणा एण्ड जनरल स्टोर दुकान संख्या 3-4, धन्ना भगत मंदिर, बोरानाड़ा, जोधपुर।
04. श्री अशोक पारख पुत्र श्री रामलाल पारख (निर्माता/मालिक) फर्म मैसर्स- एम.एम. फूड्स, के/4-13, कृषि उपज मण्डी, मण्डोर रोड़, जोधपुर. नि. 53 अरिहन्त नगर, गुरो का तालाब रोड़, जोधपुर।



(सीमा कविया)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर
मजिस्ट्रेट (शहर) जोधपुर